छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 02 /वि.स./संपदा/2021 रायपुर, दिनांक 29.12.2021

// निविदा विज्ञापन//

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय हेतु कॉपी प्रिंटर मशीन क्रय के लिये पूर्व में जारी निविदा विज्ञापन क्रमांक–01/वि.स./संपदा/2021, दिनांक–07.12.2021 द्वारा पंजीकृत प्रतिष्ठित फर्मो से दिनांक 21.12.2021 को सायं 3:00 बजे तक बाय बैक ऑफर के तहत निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिसकी निविदा आमंत्रण तिथि में वृद्धि करते हुए अन्तिम दिनांक 17.01.2022 की जाती है । निविदा की विस्तृत शर्तें/जानकारी पूर्ववत् है, जो सचिवालय की संपदा शाखा अथवा वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in से प्राप्त की जा सकती है ।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

निविदा की शर्तें/जानकारी

1. कॉपी प्रिंटर मशीन (ए–4 साईज) की दर प्रति नग समस्त कर सहित तथा दर की वैद्यता अवधि उल्लेखित करते हुए देनी होगी ।
2. कॉपी प्रिंटर मशीन (रोंगड़ा – 3608) क्रय वर्ष 2016 बायबैक की जाना है । पुरानी मशीन का अवलोकन कार्यालयीन समय पर सचिवालय की संपदा शाखा में किया जा सकता है ।
3. निविदाकर्ता को प्रस्तावित मशीन का ब्रोशर भी संलग्न करना होगा । मशीन के संबंध में इमेज मोड, रिसोल्यूशन, प्रिंट स्पीड, प्रिंट एरिया, पेपर साईज, प्रिंटिंग प्रोसेस, स्केनिंग की जानकारी संलग्न प्रपत्र में स्पष्ट देनी होगी । प्रपत्र हस्ताक्षरित (सील सहित) प्रस्तुत करना होगा । मशीन का जीवनकाल (प्रिंट संख्या सहित) संबंधी जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
4. मशीन की गारंटी/वारंटी अवधि का उल्लेख करना होगा ।
5. मशीन के वार्षिक रख–रखाव की दर का पृथक से उल्लेख करना होगा ।
6. यदि आवश्यक हुआ तो मशीनों का डेमो सचिवालय में स्वयं के व्यय पर करना होगा ।
7. निविदाकर्ता का वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन अनिवार्य होगा ।
8. निविदाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20, एवं 2020–21 के आयकर गणना पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
9. अधिकृत विक्रेता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।
10. मशीन के संचालन का प्रशिक्षण सचिवालय के कर्मचारी को निशुल्क देना होगा ।
11. मुहरबंद निविदा के साथ अमानत के रूप में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक की राशि रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) की एफ.डी. (सावधि जमा) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर के नाम से देय संलग्न करना होगा । चयनित फर्म की एफ.डी. गारंटी / वारंटी अवधि के पश्चात् वापस की जाएगी ।
12. भावपत्र/प्रस्ताव एवं अमानत राशि की एफ.डी. पृथक–पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी ।
13. आदेशित सामग्री निर्धारित गुणवत्ता व समयावधि में प्रदाय न करने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।
14. निविदा प्रस्ताव विधानसभा भवन स्थित अवर सचिव, संपदा, कक्ष क्रमांक–बी–7 के पास दिनांक 17.1.2022 को अपराहन् 3:00 बजे तक जमा किया जा सकता है । निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
15. किसी भी अथवा समस्त निविदा को मान्य या अमान्य करने का प्राधिकार प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।
16. किसी भी विवाद पर निर्णय करने का संपूर्ण अधिकार, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा ,रायपुर का होगा ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर तथा सील